नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 12 मई, 1995

संख्या जे0 डी0 - 95 / 5566- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों तथा निर्मित समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में विनिदिंष्ट और इसके साथ संलग्न नक्शे में दिखाए गये गुड़गांव शहर, जिला गुड़गांव की नगरपालिका सीमाओं के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र भाग V और VI घोषित करते हैं, अर्थात्ः—

अनुसूची

गुड़गांव शहर, जिला गुड़गांव की नगरपालिका सीमाओं के आस—पास के अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र भाग V और VI की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 542/94 दिनांक 12 सितम्बर, 1994, के साथ पढ़ा जाए।

(क)-अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र भाग V

उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिमः इसके गांव बजधेड़ा, हदबस्त नं0 61 जिला गुड़गांव की सूची राजस्व सम्पदा शामिल है।

(ख)-अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र भाग VI

उत्तरः बिन्दु ''एस'' से शुरू करके अर्थात हरियाणा और दिल्ली राज्य की संयुक्त सीमा पर स्थित गांव मंकरोला की राजस्व आयत संख्या 67 का उत्तर—पश्चिमी कोना और इसके बाद पूर्व की ओर गांव मंकरोला, बुदहेड़ा, खेड़की माजरा, धानकोट, दौलताबाद, धर्मपुर और गांव बाबुपुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ—2 बिन्दु ''टी'' तक अर्थात जहां यह पंजाब सरकार राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 1964 में प्रकाशित पंजाब सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 2319—II टी०सी० पी—64, दिनांक 3 जुलाई 1964 द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र 1 की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पूर्वी और दक्षिण: इसके बाद दक्षिण—पश्चिम की ओर पंजाब सरकार के राजपत्र दिनांक 10 जुलाई, 1964 टी०सी० पी—64, दिनांक 3 जुलाई 1964 द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र 1 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 बिन्दु एफ तक जहां यह हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 10 डी पी—81/8039, दिनांक 21 मई, 1981 द्वारा घोषित गुड़गांव शहर के आस—पास अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र संख्या की पश्चिमी सीमा से मिलता है, इसके बाद नियन्त्रित क्षेत्र संख्या 111 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा के साथ—2 दक्षिण, उत्तर, पिष्चिम और दक्षिण की ओर बिन्दु "पी0" तक जहां यह गुड़गांव से गांव गढ़ी हरसरूप को जाने वाली पक्की सड़क की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पश्चिम: इसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर गुड़गांव से गांव गढ़ी हरसरू को जाने वाली सड़क की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उस बिन्दु तक जहां यह गांव चन्दु की दक्षिणी राजस्व सीमा से मिलती है, इसके बाद उत्तर—पश्चिम की ओर, गांव चन्दु की दिक्षणी सीमा के साथ—2 बिन्दु "आर" तक जहां यह हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1983 में प्रकाशित हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 1328/10 डी०पी0—83/2596, दिनांक 22/23 फरवरी, 1983 द्वारा सुलतानपुर प्यंटन केन्द्र और पक्षी शरण स्थल के आस—पास घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है इसके बाद उत्तर की ओर नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा के साथ—2 गांव बुधेड़ा की आयत संख्या 109 के उत्तर पश्चिमी कोने तक, इसके बाद उत्तर की ओर गां बुधेड़ा की आयत संख्या 90,79,58 की पश्चिमी सीमा और गांव मंकरोला की आयत संख्या 33,36,38,43,46 और 51 के पश्चिमी सीमा के साथ—2 आयत संख्या 51 के उत्तर पश्चिमी कोने तक, इसके बाद पूर्व की ओर उक्त आयत की उत्तरी सीमा के साथ—साथ गांव मंकरोला की आयत संख्या 53 के दिक्षणी—पश्चिमी कोने तक, इसके बाद उत्तर की ओर उक्त गांव की आयत संख्या 53,64,68 और 67 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 बिन्दु "एस" तक अर्थात प्रारम्भिक बिन्दु।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 12th May, 1995

No. JD-95/5566- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un-regulated Development Act, 1963, and all other powers enabling him; in this behalf the Governor of Haryana hereby declares the area around the municipal-Boundaries of Gurgaon town, district Gurgaon, as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a additional controlled areas parts V and VI, for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries for the additional controlled area, part V and VI around the municipal boundaries of Gurgaon, Town, district Gurgaon to be read with Drawing No. DTP(G) 542/94, dated 12th September, 1994.

A Additional Controlled area, Part-V

North }

East \ It comprises of the whole of revenue estate of village Bajghera, (Hadbast No. 61), district, Gurgaon

South }

West }

B Additional Controlled Area, Part-VI:

North: Starting from point 'S' i.e. the north-western corner of revenue rectangle No. 67 of village Mank rola situated on the common boundary of Haryana and Delhi state, and further towards east along the northern revenue boundary of village Mank rola, Budhera, Kheri Majra, Dhankot, Daultabad, Dharampur and Village Babupur respectively upto the point 'T' i.e. where it meets the western boundary of the controlled area I already declared,- vide Punjab Government Town and Country Planning Department gazette notification No. 2319-IITCP-64, dated the 3rd July, 1964, published in Punjab Government Gazette dated the 10th July, 1964.

East South: Thence, towards south-west along the western boundary of controlled area I already declared, - vide Punjab Govt. Town and Cournty Planning Department Gazette notification No. 2319-II-TCP -64, dated the 3rd July, 1964 published in Punjab Government Gazette dated, the 10th July, 1964 upto point 'F' where it meets the western boundary of Additional Controlled area No. III around Gurgaon town declared,-vide Haryana Gazette Town and Country Planning Department notification No. 10DP-81/8039, dated the 21st May, 1981 published in Haryana Government Gazette, dated the 16th June, 1981, thence towards south, north-west and south along the northern and western boundary of controlled area No. III upto point 'P' where it interseets the western boundary of controlled area No. III upto point 'P' where it interseets the western boundary of metalled road from Gurgaon to village Garhi Harsaru.

West: Thence towards north-west along the western boundary of road from Gurgaon to village Garhi Harsaru and further along the western boundary of Katcha revenue rasta from village Garhi Harsaru to village Budhera upto the point, where it meets the southern revenue boundary of village Chandu, thence towards north-west along ther southern boundary of village Chandu upto point 'R' where it meet the boundary of controlled area already declared around Sultanpur Tourist Complex and Bird Sanctuary, vide Haryana Government Town and Country Planing Department Gazette notification No. 13281/10-DP-83/2596, dated the 22nd/23rd February, 1983 published i.e. Haryana Government Gazette dated the 12th April, 1983 thence towards north along the eastern boundary of the said controlled area upto the north-western corner of rectangle No. 109 of village Budhera, thence further towards north along the western boundary of rectangle No. 90, 79, 58 of village, Budhera and Rect. No. 33, 36, 38, 43, 46 and 51 of village Mankrola upto the north-western corner of rectangle No. 51 thence towards east along the northern boundary of the said rectangle upto the south-western corner of rectangle No. 53 of village Mankrola, thence towards north along the western boundary of rectangle No. 53, 64, 68 and 67 of the said village upto point 'S' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department